न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 19/2026 (GCMS : 2026/ 95)

सुरेश पुत्र स्व. लेखराज जाति अरोड़ा निवासी सजना कॉलोनी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्रीमती रीना छिम्पा**, अतिरिक्त जिलाधीश (सतर्कता), श्रीगंगानगर
2. **देवीलाल** पुत्र श्री रायसाहब, जाति बिश्नोई निवासी चक चानणा तहसील पदमपर जिला श्रीगंगानगर
3. **अध्यक्ष, जय श्री हनुमान मन्दिर चानणा धाम 4 सीसी,** प्रबंध समिति, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **विष्णु भगवान** पुत्र श्री रायसाहब निवासी चक 4 एनएन तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **देवेन्द्र कुमार** उर्फ गोपाल पुत्र स्व. लेखराज जाति अरोड़ा, निवासी सजना कॉलोनी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6. **रामप्यारी** पत्नी स्व. लेखराज जाति अरोड़ा, निवासी सजना कॉलोनी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. **जसप्रीत कौर** पुत्री स्व. लेखराज जाति अरोड़ा, निवासी सजना कॉलोनी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13.04.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता प्रदीप सिहाग, संजय जनवेजा एवं मोहन लाल पूनियां उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा अति. जिलाधीश (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन निगरानी संख्या 483/2025 अनवानी देवीलाल बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत 4 एनएन में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते है अर्थात नॉट प्रेस करते है। इसलिए उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रेस करते है और प्रार्थी

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के प्रकरण को नॉट प्रैस करने के कारण खारिज किया जाता है, तो उन्हें आपत्ति नही है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अति. जिलाधीश (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन निगरानी संख्या 483/2025 अनवानी देवीलाल बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत 4 एनएन में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है और फर्दअहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस अंकित किया है और अप्रार्थी के अधिवक्तागण ने भी इस पर कोई आपत्ति है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अति. जिलाधीश (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested